

Ch Ravi J
Ch Raju J
10/8/14
after
foundat

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-121/2014/ 470

दिनांक : 11-8-14

-: आदेश :-

निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 25.08.14 से 23.09.14 तक 4th Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-



क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1	डा0 अमित सिंह राठौड	चि0अ0	सामु.स्वा.केन्द्र गढी सवाईराम (अलवर)
2	डा0 यश मुदगल	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र प्रतापगढ (अलवर)
3	डा0 जितेन्द्र कुमार रावत	चि0अ0	समु.स्वा.केन्द्र गगवाना (अजमेर)
4	डा0 सपना कुमारी यादव	चि0अ0	सामु.स्वा.केन्द्र शाहजहापुर (अलवर)
5	डा0 कविता पन्नीकर	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र साधा (दौसा)
6	डा0 सत्येन्द्र पारासर	चि0अ0	सागवाडा (डूंगरपुर)
7	डा0 मोहम्मद इम्तियाज	चि0अ0	सामु.स्वा.केन्द्र चामू (जोधपुर)
8	डा0 दिवेश कुमार सैनी	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र छापडा (झुन्झुनू)
9	डा0 राजकुमार उज्जवल	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र पादरली (जालौर)
10	डा0 दुष्यन्त शर्मा	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र दारा (कोटा)
11	डा0 मनीष गुप्ता	चि0अ0	सामु.स्वा.केन्द्र हाडोती (करौली)
12	डा0 अभिषेक कुमार गुप्ता	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र भानकपुरा (करौली)
13	डा0 विजय पाल वर्मा	चि0अ0	सामु.स्वा.केन्द्र मिठडीलाडनू (नागौर)
14	डा0 मोहम्मद फजील कुरैशी	चि0अ0	सामु.स्वा.केन्द्र बलाडा (पाली)
15	डा0 राम प्रसाद	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र बहरुण्डा (पाली)
16	डा0 रविकान्त अग्रवाल	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र पीपली (राजसमन्द)
17	डा0 रमेश दर्ईया	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र कुशतला (सवाईमाधोपुर)
18	डा0 हेमन्त कुमार गर्ग	चि0अ0	सामु.स्वा.केन्द्र कुण्डेरा (सवाईमाधोपुर)
19	डा0 सतवीर सिंह	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र झाडोली (सिरोही)
20	डा0 राजीव ढाका	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र पाटोदा (सीकर)
21	डा0 सुभाष चन्द्र भास्कर	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र काशी का बास (सीकर)
22	डा0 अमित कुमार	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र बनवाली (श्रीगंगानगर)
23	डा0 मुकेश शर्मा	चि0अ0	सामु.स्वा.केन्द्र लसाडिया (उदयपुर)
24	डा0 नवीन कुमावत	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र नासीरदा (टोक)
25	डा0 दयाराम चौधरी	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र राहोली (टोक)
26	डा0 मनीष कुमार	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र मलसीसर (हनुमानगढ)
27	डा0 जय प्रकाश	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र नेठराना (हनुमानगढ)
28	डा0 विनोद कुमार नागर	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र फलिया (बांरा)
29	डा0 जितेन्द्र गर्ग	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र सायपुर (करौली)
30	डा0 धर्मेन्द्र त्यागी	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र समोना (धौलपुर)
31	डा0 महेश कुमार महला	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र बलारा (सीकर)
32	डा0 मनमोहन	चि0अ0	प्रा.स्वा.केन्द्र कटवाड़ (बांरा)

P.T.O.

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिन्दगी चुनो तम्बाकू नहीं। ☹

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 25.08.14 को प्रातः 09.30 बजे को निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगे अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.6(6)ट्रेनिंग(पीएल-2)/आर.एच. एस.डी.पी./07/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूल की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थियों को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सकों को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है। इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

नोट : यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-121/2014/470

दिनांक : 11-8-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक (RCH), मुख्यालय जयपुर।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्रांक 5831-32 दिनांक 04.08.12 के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावे, ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण में दिनांक 25.08.14 को प्रातः 09:30 बजे प्रशिक्षण स्थान पर उपस्थित होन हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावे।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।